समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र दिनांक 25 फरवरी, 2022 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-22 (बाईस) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 25 फरवरी, 2022 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के सह-समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुई । महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 की प्रति प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सदन पटल पर रखी गयी एवं प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी । सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 03 (तीन) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । कुल-11 (ग्यारह) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 28 फरवरी, 2022 को वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ और यह दिनांक 02 मार्च, 2022 को भी जारी रहा । जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 02 मार्च, 2022 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 03 मार्च, 2022 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 04 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर दिनांक 03 मार्च, 2022 से जारी सामान्य विमर्श का उत्तर माननीय उप-मुख्यमंत्री-सह प्रभारी मंत्री वित्त विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा विस्तारपूर्वक दिया गया ।

दिनांक 07 मार्च, 2022 को माननीय सदस्यों से संबंधित दिये जाने वाले सभी तरह के अभ्यावेदन, प्रोटोकॉल के उल्लंघन से जुड़े मामलों में ससमय कार्रवाई करने एवं समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु बिहार विधान सभा में एक समिति के गठन हेतु आसन से निदेश दिया गया । वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित पंचायती राज विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 08 मार्च, 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसन तथा सदन की ओर से नारी शक्ति को नमन करते हुए महिला माननीय सदस्यों सहित राज्य की सभी महिलाओं को शुभकामनाऐं दी गयी और साथ ही उस दिन सदन की कार्यवाही के संचालन हेतु माननीय सदस्या-सह अध्यासी सदस्य, श्रीमती ज्योति देवी को आसन पर आसीन किया गया ।

दिनांक 15 मार्च, 2022 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-23(क), नियम-93 एवं नियम-244 में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए गठित नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2022 को सदन पटल पर रखे जाने एवं नियमावली के नियम-287(ख) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के आलोक में नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 23 मार्च, 2022 को प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया कि यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रील, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत् निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन का प्रस्ताव एवं कार्य-संचालन नियमावली के उक्त नियमावली के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रील, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद्, सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करने हेतु प्रस्ताव पर आसन की सहमति हुई ।

दिनांक 24 मार्च, 2022 को सप्तदश बिहार विधान सभा के विकासशील इंसान पार्टी के तीनों माननीय सदस्य, श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या-79, गौड़ाबौराम, श्री मिश्री लाल यादव, क्षेत्र संख्या-81, अलीनगर एवं श्री राजू कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-98, साहेबगंज द्वारा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में विलय किये जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विकासशील इंसान पार्टी विधायक दल का भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में विलय की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

दिनांक 25 मार्च, 2022 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिणाम बजट पुस्तिका, बाल कल्याण बजट पुस्तिका एवं जेण्डर बजट पुस्तिका तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के ग्रीन बजट पुस्तिका की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 26 मार्च, 2022 को माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव पर बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय- संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदन में विचार-विमर्श हुआ तथा विमर्शोपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक पक्ष रख गया । अधिकार के स्वभाविक बोध पर कर्त्तव्य बोध पर दबी चिंगारी अब सुलग गई है वह दिन दूर नहीं जब अपने कर्त्तव्यबोध के बलपर बिहार विधायिका और बिहार की श्रमशील जनता सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करेगी । इस सत्र के दौरान उक्त विमर्श के समय आप सभी माननीय सदस्यों को संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति उपलब्ध करायी गयी जो ऐतिहासिक क्षण था । आपसब जब उसका अध्ययन करेंगे तो आपका मस्तक संविधान निर्माताओं के प्रति स्वयंमेव श्रद्धापूर्वक झुक जायेगा । आपको यह पता चलेगा कि संविधान मनीषियों ने किस प्रकार हमारी सनातन संस्कार और पुरातन संस्कृति का संगम उसमें समाहित किया है । इसी दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँगे गिलोटिन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए ।

दिनांक 30 मार्च, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार विनियोग विधेयक, 2022.
2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022.
3) बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022.
4) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022.
5) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022.
6) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022.
7) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022.
8) बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022.
9) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022.
10) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022.
11) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022.

सत्र के दौरान कुल-5460 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 4693 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 4693 प्रश्नों में कुल-137 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 136 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल-3885 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 3714 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 671 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल-312 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 38 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 265 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 09 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-873 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 867 स्वीकृत हुए एवं 06 अस्वीकृत हुए । कुल-463 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 436 स्वीकृत एवं 27 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-258 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

आप सबों की सजगता और सरकार की संवेदनशीलता से लगभग सभी विभागों ने प्रश्नों का लगभग शत-प्रतिशत उत्तर दिये, जिसके कारण सदन में माननीय सदस्यों को उनके पूछे गए प्रश्नों के पूरक पूछने में ही सहूलियत नहीं हुई बल्कि ऐसा करने से प्रश्नकाल के दौरान अधिकाधिक प्रश्नों को लिया जा सका, जिससे कहीं न

कहीं हम सभी ने जनता के जीवन को सरल, सुगम और सुखी बनाने का अधिकतम प्रयास कर लोकतंत्र की उस अवधारणा को मजबूती प्रदान की जिसमें जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए होता है ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, ऋतुराज वसंत के उत्सवकाल में आने वाले दिनों में चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा यानि 02 अप्रैल से आदिशक्ति प्रकृति की उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्र का शुभरम्भ हो रहा है, इसी दिन विक्रम संवत 2079 (दो हजार उन्नासी) की शुरूआत हो रही है और सुखद संयोग है कि इसी समय रमजान का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा है । इसके बाद भारतीय मानस में मर्यादा के प्रतीक और हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रेरणापुरूष भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी, हमारे भारत के राज्यों की भावभूमि को निर्धारित करने वाले भाग-6 को सुशोभित करने वाले भगवान महावीर की जयन्ती, राज्यों के शासन, प्रशासन और कल्याण को परिभाषित करने वाले भाग-8 की शोभा बढ़ाने वाले मारूति नंदन हनुमान जी की जयन्ती और हमारे देश के आम जनजीवन की निर्बाध स्वतंत्रता को निर्धारित करने वाले भाग-13 में विराजमान हमारी प्राण धारा पवित्र माँ गंगा की अराधना का पर्व गंगादशहरा जैसे महापर्वों के भी हम साक्षी बनने जा रहे हैं । इन मंगलपर्वों पर भारत भक्ति के भाव से वीतरागी होकर कर्त्तव्य की पराकाष्ठा की राह चुननी है ।

हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हैं ही साथ ही, हमारी प्राचीन परम्परा भी नितांत लोकतांत्रिक रही है । हमारे यहाँ जो गणतंत्र थे, उनमें मतदान की प्रक्रिया थी । समितियों का निर्माण कर प्रश्न तय करने और हल ढूँढने का विधान था। वाद-विवाद और संवाद के द्वारा समस्याओं के समाधान की संस्कृति थी । मतभेदों के साथ मनभेद से मुक्त सामाजिक सभ्यता का हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है ।

मुझे आपसे यह साझा करते हुए अपार हर्ष और संतोष की अनुभूति हो रही है कि सरकार के सजग सहयोग और प्रतिपक्ष के सदस्यों के संवेदनशील व्यवहार से इस महान सदन ने न केवल अपनी विरासत को अक्षुण्ण रखा बल्कि आपके मर्यादित व्यवहार और संसदीय परम्पराओं के अनुकूल आचरण से शत-प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर, सार्थक परिचर्चा के साथ-साथ शत-प्रतिशत उत्पादक कार्यदिवसों का उपयोग हुआ जिससे देश के सामने एक नजीर पेश किया जा सका ।

आप सबने यह सिद्ध कर दिखाया है कि यह सदन संकुचित मायने में नहीं बल्कि विराट अर्थों में एक राजनीतिक मंच है, जहाँ से प्रदेश की 12 करोड़ जनता की आशाएँ, अपेक्षाएँ और कुंठाएँ प्रतिबिम्बित एवं प्रतिध्वनित होती हैं ।

माननीय सदस्यगण, आपसब बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह के गवाह और भागीदार रहे हैं । इस समारोह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था ।

इस शताब्दी समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी भी आए । उन्होंने सभा परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष का रोपण भी किया और शताब्दी स्मृति स्तम्भ का शिलान्यास भी किया । समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सबों द्वारा यह इच्छा जाहिर की गई कि शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पटना आएं ।

यह इसी वर्ष मई-जून में संभावित है । यह आयोजन बहुत ही भव्य होगा उसमें आप सबकी उपस्थिति अपेक्षित रहेगी ।

इसी शताब्दी वर्ष समारोह में इस वर्ष के एक और कार्यक्रम को ध्यान दिलाना चाहूँगा । आप लोगों के लिए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी यहाँ आये थे । दो दिवसीय कार्यक्रम बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा शताब्दी स्मृति स्तम्भ की प्रतिकृति का अनवारण भी किया गया । स्तम्भ के ऊपर जो पीपल के वृक्ष का ब्राउंच मेटल में तैयार किया जा रहा है जो लोकसभा के सेंट्रल हॉल में रखे आजादी के पूर्व के बिहार के प्रतीक की तस्वीर है । यह उसी की प्रतिकृति होगी । भविष्य में यह शताब्दी स्मृति स्तम्भ बिहार के प्रतीक के

रूप में जाना जायेगा साथ ही बिहार विधान सभा की संसदीय गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए विधान प्रबोधनी नामक पत्रिका तथा बिहार विधान सभा का डिजिटल टी.वी. चैनल 'बिहार विधान सभा टी.वी.' का शुभारम्भ माननीय लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला जी के कर कमलों से किया गया। इनके माध्यम से आपके संसदीय अनुभव और विचारों से देश और दुनिया के लोग अवगत हो सकेंगे।

हमने इस सत्र में संवैधानिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों पर सारगर्भित चर्चा की है, जो देश के सामने एक उदाहरण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस चर्चा से हमें देश के इस अमृतकाल में अपने आप से यह वादा करना है कि हम चाणक्य की संकल्पना शक्ति, सम्राट चंद्रगुप्त की जीतने की चाहत, महत्मा बुद्ध की करूणा, तीर्थंकर महावीर का तप और गुरू गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर अंदर और बाहर की बुरी ताकतों पर विजय हासिल करते हुए देश और समाज के हित में अपना कार्य करते रहेंगे। हमें सदैव याद रखना है कि :-

"कर्मभूमि है निखिल महीतल
जब तक नर की काया
तब तक है जीवन के कण-कण में
अपना कर्त्तव्य समाया"।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।